फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

शरबतीदेवी वगैरह बनाम केशराराम वगैरह

किस्म मुकदमाः–212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्याः–127/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.12.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थीगण का रकबा चक 20 एस.टी.बी. के खाता संख्या 55/44 के प.नं. 51/322(7) कि.न. 1/2 में 0.249 है0 व कि.न. 2 ता 25 सालम इस प्रकार कुल 6.321 है0 नहरी/अ0क0 मय खाला खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। इसी चक 20 एस.टी.बी. के खाता संख्या 57 प0न0 52/322 (8) कि0न0 1 ता 25 में 6.325 है0 रकबा जो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के दादा हजारीराम पुत्र सुखराम जाति स्वामी के नाम से खातेदारी दर्ज है इस पत्थर नं. 52/322 के कि0न0 5,6,15,16,25 में 2–2 बिस्वा खाला का है, जो कि कच्चा खाला चालू ह है। अप्रार्थीगण के दादा/पिता फौत हो चुके है। अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 अपने दादा के नाम के रकबा पर कब्जा काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीग्गण का रकबा चिपता होने से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में उक्त रकबा प0न0 51/322 (7) के कि0न0 1/2 में 0.249 है0 व कि0न0 2 ता 25 सालम इस प्रकार कुल 6.321 है0 नहरी/अ0क0 नहरी रकबा में से कि0न0 1,10,11,20,21 में खाला निर्माण विधि विरूद्ध तरीके से करना चाहते है। जबकि खाला अप्रार्थीगण के रकबा में है व वहां से चालू है तथा अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के रकबा पर खाला निर्माण करने को कोई अधिकार नही है। क्योंकि प्रार्थीगण के रकबा पर कोई खाला दर्ज नही है व ना किसी प्रकार कोई खाला यहॉ पर चला है। अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीगण के कब्जा काश्त के रकबा पर खाला निर्माण करना चाहते है। प0न0 52/322 के कि0न0 5,6,15,16,25 में खाला चल रहा है उसको तोड़कर इन किलों के बजाय प्रार्थीगण के कब्जा काश्त के रकबा पर खाला निर्माण करना चाहते है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को धमकी दे रहे है कि वे हमारे कब्जा काश्त में जबरन खाला का निर्माण करेगें। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थीगण के कब्जा काश्त के खातेदारी रकबा चक 20 एस.टी. बी. के खाता नं. 55/44 के प0न0 51/322 (7) के कि0न0 1/2 में 0.249 है0 व कि0न0 2 ता 25 सालम इस प्रकार कुल 6.321 है0 नहरी/अ0क0 में किसी प्रकार की दखलदांजी न करे एवं ना ही अन्य किसी से करवायें व पक्का खाला का का निर्माण नही करें। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण के नाम चक 20 एस.टी.बी. के खाता संख्या 55/44 के प.नं. 51/322(7) कि.न. 1/2 में 0.249 है0 व कि.न. 2 ता 25 सालम इस प्रकार कुल 6.321 है0 नहरी/अ0क0 मय खाला खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। पूर्व में अप्रार्थीगण के खातेदारी रकबा में खाला चल रहा है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में जबरन दखलदांजी करना चाहते है।यदि जैरप्रकरण रकबा का में अप्रार्थीगण ने जबरन खाला का निर्माण कर लिया तो प्रार्थीगण को न पुरा होने वाला नुकसान होना संभावित है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण की ओर होना प्रकट होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रा.पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण के कब्जा काश्त के खातेदारी रकबा चक 20 एस.टी.बी. के खाता नं. 55/44 के प0न0 51/322 (7) के कि0न0 1/2 में 0.249 है0 व कि0न0 2 ता 25 सालम इस प्रकार कुल 6.321 है0 नहरी/अ0क0 में किसी प्रकार की दखलदांजी न करे एवं ना ही अन्य किसी से करवायें व पक्का खाला का का निर्माण वाद पत्र के निर्णय तक नही करें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मनोज कुमार मीणा) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.03 13:12:27 IST
Reason: SelfAttested